न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बलराम आदि बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –297/2025
निर्णय दिनांक 21-07-2025

1. बलराम पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
2. गोमती पत्नी हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. सुशीला पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
4. निर्मला पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
5. लिछमा पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
6. कमला पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
7. कृष्णा पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
8. भागवती पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू
9. मोनिका पुत्री हजारी राम जाति जाट निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा खरतवास पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 104 के खसरा सं. 26 तादादी 14.6682 हैक्ट., ख.नं. 26/236 तादादी 0.6070 हैक्ट, ख.नं. 45 तादादी 7.6123 हैक्ट., ख.नं. 47 तादादी 0.8093 हैक्ट. व खाता संख्या 165 ख.नं. 50 तादादी 12.0633 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। उपरोक्त खसराजात की जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम हजारीमल दर्ज हो गया, जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम हजारी राम है। प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थीगण का कथन है कि पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण आदि दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम हजारी राम है। प्रार्थीगण ने जमांबदी में पिता व पति का नाम हजारीमल के स्थान पर हजारी राम करवाने का निवेदन किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा खरतवास पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 104 के खसरा सं. 26 तादादी 14.6682 हैक्ट., ख.नं. 26/236 तादादी 0.6070 हैक्ट, ख.नं. 45 तादादी 7.6123 हैक्ट., ख.नं. 47 तादादी 0.8093 हैक्ट. व खाता संख्या 165 ख.नं. 50 तादादी 12.0633 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता का नाम व पति का नाम हजारी राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम हजारीमल व हजारी राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण से प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम शंकर लाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गोरीशंकर अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा खरतवास पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 104 के खसरा सं. 26 तादादी 14.6682 हैक्ट., ख.नं. 26/236 तादादी 0.6070 हैक्ट, ख.नं. 45 तादादी 7.6123 हैक्ट., ख.नं. 47 तादादी 0.8093 हैक्ट. व खाता संख्या 165 ख.नं. 50 तादादी 12.0633 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम **हजारीमल Delete** कर इसके स्थान पर **हजारी राम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-07-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी